रेकार्ड है। जो मुद्दई ताईद प्रस्तुत राजस्व कंप्यूटर जमाबंदी सं० 2068
संवत 2071 से 2074 की होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में
वर्णित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी
संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। जिनमें प्रार्थीगण
एवं विपक्षी सं० 1 के मध्य अविभाजित आराजियात है। अविभाजित
आराजियात होने के कारण स्थान स्थान हिस्से अनुसार काबिज
होकर काश्त कर रहे हैं। किन्तु स्वत्व की ताईद इस वाद
में साक्ष्य से ही साबित होगी। ऐसी स्थिति में न्यायालय
द्वारा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को इस वाद के
निस्तारण तक कन्फर्म कर दी जावे। अत:
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया
व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से विपक्षीगण
के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझती हूँ। अत:

:: आदेश ::

ग्राम मालोला पटवार हल्का भीलवाड़ा II तहसील व जिला
भीलवाड़ा में स्थित ग्राम आराजी नं. 207, 208, 1322/192, 1323/194,
1324/196 कुल किता 5 रकबा 3 बीघा व आराजी नं. 185 रकबा
13 बीघा 1 बिस्वा भूमि के मौके की यथा स्थिति बनाये रखने बाबत
विपक्षीगण के विरुद्ध इस वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
की जाती है। पत्रावली की कायम सुमार की जाकर वाद की कार्यवाही
की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा